फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

आई0डी0बी0आई0 बैंक शाखा संजय पैलेस आगरा। बनाम मैसर्स सिद्धी विनायक इण्डस्ट्रीज धौलपुर जरिये श्री लोकेन्द्र सिंह व अन्य

किस्म मुकदमाः–अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 79 सन् 2018

RCMS No. 2018/00129

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.18	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी, आई0डी0बी0आई बैंक शाखा संजय पैलेस आगरा की ओर से श्री मनोज कुमार ओरिया प्रतिनिधि मैसर्स दी ओथोराइज्ड इन्फोसमेन्ट एण्ड रिकवरी एजेन्सी 6/288 विद्याधर नगर जयपुर ने अप्रार्थी/ऋणी 1. मैसर्स सिद्धी विनायक इण्डस्ट्रीज, जरिये श्री लोकेन्द्रसिंह पता एच0–410, रीको ग्रोथ सेन्टर, एक्सटेंशन, धौलपुर–328001, 2. लोकेन्द्रसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह बैंसला निवासी 177 गली सुरासी पहलवान, तहसील व जिला धौलपुर, 3. श्री लक्ष्मणसिंह बैंसला पुत्र श्री नत्थीसिंह निवासी 177 गली सुरासी पहलवान, तहसील व जिला धौलपुर, 4. श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा निवासी 7 डिफेंस कोलोनी भामतीपुरा जिला धौलपुर, 5. श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा निवासी 7 डिफेंस कोलोनी भामतीपुरा जिला धौलपुर, के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 20.02.2015 को 1,74,00,000/–रूपये का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः– बंधक चल व अचल सम्पत्तिः– (1). प्रथम प्रभार हाईपोथिकेशन द्वारा जिसमें सभी चल सम्पत्तियां जैसे– प्लांट, मशीनरी, स्पेयर्स, टूल्स, औजार व एसेसरीज तथा ऑफिस में काम आने वाले उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर, और पिक्चर्स शामिल है। (2) मकान कायस्थपाड़ा तहसील एवं जिला धौलपुर में स्थित है क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट (111.11 वर्गगज) है जो कि लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह बैसंला के नाम से है जिसकी सीमाएं है उत्तर में आम रास्ता एवं गली, दक्षिण का मकान, पश्चिम में मदन मोहन और रामवीर शर्मा का मकान, (3)	

जिला कलक्टर धौलपुर

प्लॉट नं0 एच–410, इण्डस्ट्रीयल एरिया रीको, सेंटर एक्सटेंशन, तहसील व जिला धौलपुर में स्थित है, क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर है जो कि लोकेन्द्रसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह बैंसला के नाम से है जिसकी सीमाएं है– उत्तर में सड़क 18 मीटर चौड़ी, दक्षिण में प्लॉट नं0 एच1–409, पूर्व में सड़क 18 मीटर चौड़ी पश्चिम में प्लॉट एच–411, (4) प्लॉट नं0 7, खसरा नं0 101, 108, 110 का हिस्सा श्री अम्बिका डिफेंस कॉलोनी, पुराना बिजलीघर के सामने, महावत नगर, तहसील व जिला धौलपुर में स्थित है, क्षेत्रफल 206.66 वर्ग गज है जो कि सुनील शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा एवं श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा के नाम से है जिसकी सीमाएं है– उत्तर में प्लॉट नं0 6, दक्षिण में प्लॉट नं0 8 यदुनाथसिंह का, पूर्व में प्लॉट नं0 12, पश्चिम में आम रास्ता बिजलीघर व प्लॉट नं0 7ए ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 30.08.2017 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 23.11.2017 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 1,70,83,810/– रूपये मात्र दिनांक 31.08.2017 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति (1). प्रथम प्रभार हाईपोथिकेशन द्वारा जिसमें सभी चल सम्पत्तियां जैसे– प्लांट, मशीनरी, स्पेयर्स, टूल्स, औजार व एसेसरीज

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

तथा ऑफिस में काम आने वाले उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर, और पिक्चर्स शामिल है। (2) मकान कायस्थपाड़ा तहसील एवं जिला धौलपुर में स्थित है क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट (111.11 वर्गगज) है जो कि लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह बैसंला के नाम से है जिसकी सीमाएं है उत्तर में आम रास्ता एवं गली, दक्षिण का मकान, पश्चिम में मदन मोहन और रामवीर शर्मा का मकान, (3) प्लॉट नं0 एच–410, इण्डस्ट्रीयल एरिया रीको, सेंटर एक्सटेंशन, तहसील व जिला धौलपुर में स्थित है, क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर है जो कि लोकेन्द्रसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह बैंसला के नाम से है जिसकी सीमाएं है– उत्तर में सड़क 18 मीटर चौड़ी, दक्षिण में प्लॉट नं0 एच1–409, पूर्व में सड़क 18 मीटर चौड़ी पश्चिम में प्लॉट एच–411, (4) प्लॉट नं0 7, खसरा नं0 101, 108, 110 का हिस्सा श्री अम्बिका डिफेंस कॉलोनी, पुराना बिजलीघर के सामने, महावत नगर, तहसील व जिला धौलपुर में स्थित है, क्षेत्रफल 206.66 वर्ग गज है जो कि सुनील शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा एवं श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा के नाम से है जिसकी सीमाएं है– उत्तर में प्लॉट नं0 6, दक्षिण में प्लॉट नं0 8 यदुनाथसिंह का, पूर्व में प्लॉट नं0 12, पश्चिम में आम रास्ता बिजलीघर व प्लॉट नं0 7ए का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 20.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20-09-2018

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर